कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/575 भोपाल, दिनांक 5–2–99

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :– **प्रदेश के वनों से निस्तार सुविधा/निस्तार दरों में की गई वृद्धि के संबंध में।**

संदर्भ :– म0प्र0 शासन वन विभाग का पत्र क्र.एफ–7/1/92/10/3 दि. 12–1–99

—0—

कृपया संदर्भित पत्र देखें, जिसके अनुसार राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे कूपों से जलाऊ चट्टे बेचे जाने पर रायल्टी रूपये 25–00 प्रति चट्टे निर्धारित की है तथा इसमें वास्तविक विदोहन व्यय जोड़कर विक्रय दर का निर्धारण किया जाना है। यह मुद्दा विचाराधीन रहा है कि वास्तविक विदोहन के अन्तर्गत किन–किन व्यय को सम्मिलित किया जाये। किसी भी कूप के विदोहन में सबसे बड़ी लागत निकासी मार्ग के निर्माण, अस्थाई झोपड़ी के निर्माण, परिवहन आदि पर होती है। ये कार्य कूपों से वनोपज की निकासी के संबंध में आवश्यक रहते है। चूँकि चट्टे कूप से ही बेचे जाना है अतः निकासी के संदर्भ में होने वाला व्यय को उसमें शामिल किया जाना उचित नहीं होगा। अतः निर्णय लिया गया है कि कूपों से सीधे जलाऊ चट्टों की बिक्री हेतु दरों की परिगणना के लिये रूपये 25.00 प्रति चट्टे की रायल्टी में चट्टो बनवाई का वास्तविक व्यय तथा चौकीदारी एवं अग्नि सुरक्षा पर हुये व्यय को जोड़ा जाये कृपया तदनुसार चालू बर्ष हेतु दरों में यदि आवश्यक हो तो सुधार कर लें।

हस्ता.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पा.)

म0प्र0 भोपाल

पृष्ठा.क्रमांक/576 भोपाल, दिनांक 5–2–99

प्रतिलिपि :–

प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वन विभाग मंत्रालय, भोपाल को संदर्भांकित पत्र के संदर्भ में प्रस्तुत। चूँकि कूपों में निकासी मार्ग का निर्माण झोपड़ी आदि का निर्माण तथा परिवहन का व्यय कूप से परिवहन के संदर्भ में किया जाता है। अतः यह व्यय कूप से प्रदाय किये जाने पर जोड़ना उचित नहीं होगा। अतः तदानुसार निर्देश जारी किये गये हैं इनका अनुमोदन प्रार्थित है।

हस्ता.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पा)

म0प्र0 भोपाल